न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-1/2017

ग्यारसीलाल पुत्र फूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- फूलचन्द उर्फ रामेश्वरलाल पुत्र भगवानाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू । -प्रत्यर्थी--

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--प्रोफार्मा प्रत्यर्थी--

अपील संख्या-2/2017

ग्यारसीलाल पुत्र फूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू । --अपीलान्ट--

--बनाम--

1- राधेश्याम कुमावत पुत्र गोपालराम जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।द

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोंडेन्टस---

अपील संख्या-4/2017

ग्यारसीलाल पुत्र फूलचन्द मीणा निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू । ---अपीलान्ट---

---बनाम---

1- ग्राम पंचायत परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू जरिये सरपंच ।

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोंडेन्टस---

अपील संख्या-5/2017

ग्यारसीलाल पुत्र फूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

--अपीलान्ट--

---बनाम---

1-भागीरथ माण्डी पुत्र घीसाराम जाति कुमावत निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस--

अपील संख्या-6/2017

ग्यारसीलाल पुत्र फूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम--

1-जगदीश पुत्र मूलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

2- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस--

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
6-9-2015 द्वारा तहसीलदार
नवलगढ एवं निर्णय दिनांक
28-11-2016 द्वारा जिला
कलेक्टर झुन्झुनू ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री रामचन्द्र एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री बिरजूसिंह शेखावत राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 7.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का परसरामपुरा ने तहसीलदार नवलगढ को रिपोर्ट की कि गैरसायल ने सम्वत 2072 में राजकीय भूमि खसरा नं0-1912 किस्म सिवायचक पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है । इस पर तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर गैरसायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 का नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुये गैरसायल को ख0नं0 1912 पर अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमी रकबे से बेदखल किये जाने तथा लगान का 50 गुणा अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित किये गये । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू के यहां अपील पेश की जिसे बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया । इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

अदालत मातहत द्वारा कानून के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर आदेश पारित किया गया है ।अदालत मातहत ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना मनमाने रूप से आदेश पारित किया है ।अपीलान्ट ने अपने स्वयं के कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि को सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिये राजहित में समर्पित की गई थी। सम्पर्ण से पूर्व विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त था तथा अपीलान्ट द्वारा ही काश्त की जाती थी। किन्तु योग्य अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । सम्पर्ण के पश्चात तहसीलदार द्वारा मौके पर जांच की गई थी तथा जांच के बाद ही उक्त आराजी का राज्य सरकार के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किया था जिसमें आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया था किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित किया है ।सम्पर्ण से पूर्व अपीलान्ट का विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । जिसे बिना पक्षकार बनाये बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है । विवादित आराजी के बाबत राजस्व एवं सिविल न्यायालयो में भी मुकदमें दर्ज है किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर

भी कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है । जिसने यह अपील धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की है । अदालत मातहत में अपीलान्ट पक्षकार नहीं होने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पाई आदेश की जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का आदेश दिनांक 28-11-2016 खारिज किया जावे तथा विद्वान तहसीलदार नवलगढ का निर्णय दिनांक 6-9-2016 यथावत रखा जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेंन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट का मुख्य तर्क रहा कि अपीलान्ट विवादित आराजी का सम्पर्ण से पूर्व रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है ।विद्वान तहसीलदार ने विवादित आराजी को राजकीय भूमि मानकर आदेश पारित किया किन्तु विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने उक्त आराजी को राजकीय न मानकर आदेश पारित किया है ।जब इस भूमि को राजकीय नहीं मानकर आदेश पारित किया जाता है तो अपीलान्ट इसका खातेदार काश्तकार है उसको बिना सुनवाई के अवसर दिये आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अपीलान्ट इस आराजी का जमाबन्दी सं0-2066 से 2069 में रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । जिसको बिना सुनवाई के आदेश पारित किया है।अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से आदेश की जानकारी नही हो सकी जिससे अपील जानकारी से अन्दर मियाद तथा धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है ।अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 28-11-2016 को खारिज किया जाकर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जावे ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत ने अपना आदेश विधि संगत पारित किया है । अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है । अपीलान्ट ने राज्य सरकार में पक्ष में जो समपर्ण नामा किया है वह बिना कब्जा के आधार पर किया गया है जो विधि के विप--रित है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2066 से 2069में खसरा नम्बर 1912 रकबा 0.1000 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्ट के नाम दर्ज है ।अपीलान्ट ग्यारसीलाल ने उक्त भूमि का सम्पर्णनामा राजहक में किया गया । अदालत मातहत ने उक्त सम्पर्णनामा को विधि विरूद्ध मानकर अपना निर्णय दिया है ।जब सम्पर्णनामा विधि विरूद्ध है तो राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर उसे न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना चाहिये था क्योंकि अपीलान्ट विवादित आराजी का रेकार्डेड खातेदार काश्त--कार दर्ज है ।जो अपील में प्रभावित पक्षकार है । जिसको हम सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि संगत मानते हैं ।अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने से यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश करने का शपथ पत्र पेश किया है जिसको हम न्यायहित में अपील में हुये विलम्ब को माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचने के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांक 28-11-2016 एवं विद्वान तहसीलदार नवलगढ का निर्णय दिनांक 6-9-2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण तहसीलदार को नवलगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार तहसीलदार नवलगढ के न्यायालय में दिनांक 29-12-2017 को उपस्थित होवें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 7.11.2017 को सुनाया गया ।

7/11/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर